दिल्ली सरकार
आप की सरकार

5th June
WORLD ENVIRONMENT DAY 2018
BEAT PLASTIC POLLUTION

Dear Fellow Citizens,

Plastics are non-biodegradable and their presence in municipal solid waste creates anaerobic conditions and inhibits the process of composting and natural decay and cause foul smell. They are blown in the wind or along with other solid waste find their way to surface waters and cause choking of drains/ sewerage system and water logging problems/ flooding. The urban stray cattle, which are often found feeding on garbage, also consume plastic bags, which may be fatal to them.

On 10.08.2017, Hon'ble National Green Tribunal had directed ban on less than 50 micron plastic carry bags in the NCT of Delhi and also directed defaulters to pay Rs 5000/- as environmental compensation.

Therefore, I sincerely request you all to join hands together to fight this growing environmental problem. It is high time we realise that the only solution lies in changing our own habits by avoiding using single use disposable plastics and plastic carry bags.

We should use alternate bags like cloth/jute/paper bags. Carrying own water bottles while going out can help reduce PET bottle waste. Use of "Mitti Kullarh" for serving tea/beverages and "pattals" as disposable plates should be encouraged in social and public functions.

GO FOR ENVIRONMENT-FRIENDLY OPTION,

SAY NO TO PLASTIC CARRY BAGS AND SINGLE USE DISPOSABLE PLASTIC TO – BEAT PLASTIC POLLUTION!

Best wishes and regards,
ARVIND KEJRIWAL,
Chief Minister, Delhi

Department of Environment, Forests and Wildlife
Government of NCT of Delhi

दिल्ली सरकार
आप की सरकार

5 जून
विश्व पर्यावरण दिवस, 2018
प्लास्टिक प्रदूषण को उखाड़ फेंके

प्रिय दिल्लीवासियों,

प्लास्टिक एक गैर-जैव विघटित पदार्थ है तथा इसके कूड़े में शामिल होने से अवायुजीवी परिस्थितियों को जन्म देता है तथा कूड़े की प्राकृतिक कंपोस्ट बनाने व क्षय करने की क्रिया को बाधित करता है व इससे काफी दुर्गंध फैलती है। यह हवा के साथ उड़ कर या अन्य कूड़े कचरे के साथ सम्मिलित होकर नदियों/नालों/सीवर लाईनों/नालियों में रूकावट पैदा करता है जिससे जल भराव व लीकेज की समस्या उत्पन्न होती है। शहरीय क्षेत्र में अवारा घूमने वाले पशु अक्सर कूड़ा खाते हुए पाए जाते हैं जिसके साथ वे प्लास्टिक की थैलियां भी खा जाते हैं जो कि उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती हैं।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने दिनांक 10.08.2017 के निर्देशानुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाते हुए, दोषी पाए जाने पर, दण्ड के रूप में 5,000/- रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करवाने के लिए भी आदेश दिया है।

इसलिए, मैं तहे दिल से आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप सभी मिलजुल कर पर्यावरण की समस्या का सामना करें। समय आ चुका है कि हम यह जाने कि इस परिस्थिति से निपटने के लिए हमें अपनी आदतों को बदलना होगा और एक बार प्रयोग में आने वाले डिस्पोजेबल प्लास्टिक को तथा प्लास्टिक की थैलियों को प्रयोग में ना लाए।

हमें विकल्प के तौर कपड़े/जूट/कागज से बने थैलों का प्रयोग करना चाहिए। घर से बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखने से प्लास्टिक की बोतलों का कचरा कम करने में सहायक होगा। सामाजिक एवं सार्वजनिक समारोहों में चाय/जल-पान के लिए मिट्टी के कुल्हड़ का प्रयोग तथा पत्तल को डिस्पोजेबल प्लेट के रूप इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

पर्यावरण अनुकूल विकल्प की ओर चलें
एक बार प्रयोग में आने वाले डिस्पोजेबल प्लास्टिक का तथा प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग को मना करें - प्लास्टिक प्रदूषण को उखाड़ फेंके

शुभकामनाओं सहित
अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली